प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी देवरिया व भू.अ. निरिक्षक मोखुन्दा तहसील रायपुर

महोदयजी,

निवेदन है वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075-78 मे खाता सं. 9 नाम इस्मुक मोहम्मद पि. नूरमोहम्मद उर्फ दर्ज है जो गलत है ... मे खाते. का नाम युसुफमोहम्मद पि. नूरमोहम्मद है अत: खाते का नाम युसुफमोहम्मद पि. नूरमोहम्मद करवाने का आदेश फरमावे

06/10/21

पटवारी देवरिया

ILR मोखुन्दा
6/10/2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का देवरिया एवं भू.अ.निरीक्षक मोखुन्दा के आधार पर ग्राम देवरिया के खाता सं 9 मे खातेदार का नाम इस्मुक मोहम्मद पिता नूरमोहम्मद के बजाय युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

आदेश

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प देवरिया
प्र.सं./राजस्व/21/ 8/2021 दि 6/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का ... भू.अ.नि. मोखुन्दा की जांच एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम देवरिया के खाता सं 9 मे ... का नाम इस्मुक मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के बजाय युसुफ मोहम्मद पिता नूरमोहम्मद का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

06-10-2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:09:58 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

युसुफ मोहम्मद पिता नुर मोहम्मद छीपा निवासी देवरिया तहसील रायपुर प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं0 8 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक– 06-10-2021	प्रार्थी युसुफ मोहम्मद पिता नुर मोहम्मद छीपा निवासी देवरिया तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम देवरिया के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 9 में दर्ज खसरा नम्बरान 1015, 1025 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि प्रार्थी के स्वयं नाम इस्मुख मोहम्मद पिता नुर मोहम्मद छीपा सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम युसुफ मोहम्मद के बजाय इस्मुख मोहम्मद अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम युसुफ मोहम्मद है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम देवरिया के खाता संख्या 9 में खातेदार इस्मुख मोहम्मद पुत्र नुर मोहम्मद के बजाय युसुफ मोहम्मद पुत्र नुर मोहम्मद दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार इस्मुख मोहम्मद पुत्र नुर मोहम्मद के बजाय युसुफ मोहम्मद पुत्र नुर मोहम्मद के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई, [illegible] अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:09:58 IST Reason: SelfAttested 6-10-2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा